भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *271

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

एमएसएमई इकाइयों का बंद होना

***271. श्री बृजेश सिंह ओला :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां बंद हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों के बंद होने के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना बना रही है या कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

"एमएसएमई इकाइयों का बंद होना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271, जिसका उत्तर दिनांक 07.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : दिनांक 01.07.2020 से विगत पांच वर्षों में, एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम/उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 6.62 करोड़ उद्यम पंजीकृत हैं। बंद हुए उद्यमों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (01.04.2025 से 28.07.2025)	कुल
पंजीकृत उद्यम	28,29,746	51,22,829	85,47,152	2,48,93,528	2,06,55,273	42,08,995	6,62,57,523
बंद हुए उद्यम	175	6,222	13,290	19,828	39,446	20,029	98,990
रिपोर्ट का स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल							

किसी उद्यम के विपंजीकृत होने के लिए विभिन्न कारण जैसे कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन, प्रमाण-पत्र की अब आवश्यकता न होना, दोहरा पंजीकरण, उद्यम का बंद होना तथा अन्य कारण हैं। उद्यम पोर्टल के अनुसार, दिनांक 01.07.2020 को परिभाषा में संशोधन के बाद से पंजीकृत कुल एमएसएमई के अनुपात में बंद होने वाले एमएसएमई की संख्या केवल 0.15% है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन(रैम्प), एसआरआई फंड, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को सुदृढ़ करने, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने, पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य कदमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई सहित व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक लागू थी। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों में थे, बचाए गए।

(ii) एमएसएमई के उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में गैर-कर का लाभ 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(iii) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है।

(iv) कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से एमएसएमई को सुरक्षा और राहत प्रदान करने तथा उनके संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1/1/2023-पीपीडी के माध्यम से विवाद से विश्वास स्कीम शुरू की है। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई द्वारा अनुबंधों का निष्पादन न करने की स्थिति में, बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित ज़ब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बजट घोषणा 2025 में, भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है।
ii. अच्छा निर्यात कर रही निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण।
iii. निम्नलिखित विशेषताओं वाले समायोजित क्रेडिट कार्ड:-
    क) सूक्ष्म उद्यम
    ख) 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा
    ग) उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम

******